(1/3)

आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से., जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2014 को स्पीडी ट्रायल एवं स्पीडी अपील वादों आदि के संबंध में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :-

1. पुलिस अधीक्षक, किशनगंज।
2. वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि प्रशाखा, किशनगंज।
3. अधीक्षक, उत्पाद, किशनगंज।
4. लोक अभियोजक, किशनगंज।
5. सरकारी वकील, किशनगंज।
6. जिला अभियोजन पदाधिकारी, किशनगंज।

-: कार्यवाही :-

आपराधिक मामलो के त्वरित विचरण (स्पीडी ट्रॉयल) तथा त्वरित अपील (स्पीडी अपील) की समीक्षा उपस्थित पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक, उत्पाद, लोक अभियोजक जिला अभियोजन पदाधिकारी, सरकारी वकील तथा संबधित पदाधिकारियों के साथ की गई।

अपरिहार्य कारणवश विगत् माह निर्धारित बैठक सम्पन्न नहीं हो सकी थी। सम्पन्न गत् बैठक की कार्यवाही के संबंध में अनुपालन की समीक्षा की गई तथा बताया गया कि आपराधिक वादों के निष्पादन की समीक्षा सभी स्तरों पर की जा रही है।

स्पीडी ट्रॉयल में Acquittal के विरूद्ध मात्र 02 (दो) मामलों में अपील दायर किया जा चुका है। विज्ञ लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि 02 (दो) अन्य मामलों में अपील दायर करने हेतु पारित आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इस सम्बन्ध में तुरंत कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया ताकि अधिक से अधिक मामलों में सजा हो और किसी कमी के फलस्वरूप वाद मे दोषी दोषमुक्त न हो सके।

समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि माननीय न्यायालय से वादों में थाना से कागजात के सत्यापन के आधार पर अभियुक्तों को जमानत प्राप्त हो जाते हैं। संबंधित ऐसे मामलों का विस्तृत सूचना देने हेतु निदेशित किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा निदेशित किया गया कि बेलर का भी सत्यापन कराया जाय ताकि भविष्य में कोई वैधानिक कठिनाई न हो।

मजिस्ट्रीयल ट्रॉयल में रिहाई के विरूद्ध अपील दायर करने हेतु जिला अभियोजन पदाधिकारी को अविलम्ब प्रस्ताव समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि रिहाई के विरूद्ध 04 (चार) मामले-पोठिया (पहाडकट्टा) थाना काड संख्या 21/2011, बहादुरगंज थाना

(43)

कांड संख्या 120/2002 एवं 73/1987 तथा ठाकुरगंज (पौआखाली) थाना कांड संख्या 107/2011 मे अपील दायर **किया** गया **है**। विज्ञ लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि एक मामले (**सेशन ट्रॉयल नं0–85/2007**) में आदेश पारित किया गया है तथा पारित आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त की जा रही है। सभी कागजात प्राप्त होते ही अपील दायर करने की कार्रवाई की जायेगी। निदेश दिया गया कि वे समय सीमा के अन्तर्गत अपील दायर करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

विज्ञ लोक अभियोजक द्वारा यह भी बताया गया कि जमानत रद्द करने से संबंधित 04 (चार) मामलों में सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन दायर किया गया है, किन्तु उसे वापस कर दिया गया है। इस संबंध में लोक अभियोजक को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही, **अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक, पुलिस अधीक्षक विशेष चौकसी रखेंगे ताकि ऐसे मामले संज्ञान में आने पर अविलम्ब विधिसम्मत् कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।** स्पीडी ट्रॉयल के मामले में किसी भी स्तर पर विलम्ब न हो, इसे भी ध्यान रखेंगे। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों पर काबू रखा जाय ताकि अपराधियों में भय व्याप्त रहे। किसी भी मामलें में यदि Acquittal माननीय न्यायालय द्वारा दी जाती है तो जिला अभियोजन पदाधिकारी/लोक अभियोजक अविलम्ब सूचना पुलिस अधीक्षक एवं अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। विशेषकर भूमि विवाद/गम्भीर विधि–व्यवस्था/सरकारी कार्य में बाधा/शस्त्र अधिनियम आदि जैसे मामलों में उक्त स्थिति होने पर अविलम्ब सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।

विज्ञ लोक अभियोजक, किशनगंज द्वारा बताया गया कि माह दिसम्बर 2013 में आपराधिक मामलों के त्वरित ट्रॉयल एवं त्वरित अपील के 9–9 मामले निष्पादित हुए हैं। अपील के काफी पुराने मामलों में दिन–प्रतिदिन कार्यवाही के लिए लोक अभियोजक को निदेशित किया गया।

जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा माह दिसम्बर, 2013 के प्रतिवेदनानुसार स्पीडी ट्रायल के कुल 6 मामले निष्पादित प्रतिवेदित किया गया है।

समीक्षा के क्रम में अधीक्षक, उत्पाद, किशनगंज को उत्पाद से संबंधित लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति अविलम्ब समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया ताकि लंबित वादों में समयवद्ध ढंग से कार्यवाही के साथ–साथ नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा सके। परिवहन एवं माप–तौल से संबंधित लंबित वादों में भी तदनुसार कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया। साथ ही, लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में ससमय प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

विज्ञ सरकारी वकील द्वारा विभिन्न न्यायालयों में चल रहे स्वत्व वाद एवं स्वत्व अपील वादों की स्थिति बताई गई तथा समीक्षोपरान्त लंबित मामलों में अंचलाधिकारी/अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया गया।

(3/3)

अन्यान्य :–

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत् लंबित वादों के निष्पादन के संबंध में संबधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
2. क्षेत्र में भू–विवाद एवं विधि–व्यवस्था आदि मामलों में अविलम्ब विधिसंगत् कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया।
3. **कोटपा अधिनियम** के समुचित कार्यान्वयन हेतु संबधित सभी पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अंत में, सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह./–
(आदित्य कुमार दास)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 17 /जि.विधि., किशनगंज, दिनांक 24.01.2014.

प्रतिलिपि :– लोक अभियोजक/सरकारी वकील/जिला अभियोजन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला परिवहन पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला शिक्षा पदाधिकारी/अधीक्षक, उत्पाद/वरीय उप समाहर्त्ता, जिला गोपनीय प्रशाखा/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विकास प्रशाखा/जिला सामान्य प्रशाखा/निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान/डी.पी.एम., जिला स्वास्थ्य समिति, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई.टी., किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को ई–मेल हेतु प्रेषित।

(आदित्य कुमार दास)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।